मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल

नर्मदा भवन, द्वितीय तल "सी" विंग, 59 अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./5296/एनआरईजीएस–म.प्र./एनआर–2/न्या.प्रक/10 भोपाल दिनांक 22/5/10

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,
जिला पंचायत .... (समस्त),
म.प्र.।

विषयः– **महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. के लिए जिला स्तर से संविदा उपयंत्रियों के चयन बाबत्।**

सदर्भः– **आपका पत्र क्र. 2578/जिप/स्था/2009–10 दिनांक 15.04.2010।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा उपयंत्रियों के चयन के संबंध में मार्ग दर्शन चाहा गया था, जो निम्नानुसार हैः–

क्र	जिलों द्वारा चाहा गया मार्गदर्शन	परिषद् का अभिमत
1	उपयंत्री भर्ती प्रक्रिया में अभ्यार्थियों के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा कितनी होगी।	अभ्यार्थियों को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष की आयु निर्धारित की जा जाती है।
2	अनुभव शासकीय विभाग का ही मान्य होगा अथवा अशासकीय संस्थाओं का भी मान्य किया जावें।	समस्त अनुभव मान्य किये जावें एवं बिन्दु क्र. 9 के अनुसार अनुभव के अंक दिये जाकर मेरिट सूची बनाई जाना सुनिश्चित करें।
3	यदि जिले का प्रशासनिक व्यय 4% से अधिक व्यय हो रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या उपयंत्रियों का चयन किया जाना है।	यदि जिले का प्रशासनिक व्यय 4% से अधिक है तो भी तकनीकी अमला अत्यंत आवश्यक है। पदों के Rationalizing की कार्यवाही उपरांत युक्तियुक्तकरण किया जावेगा।
4	महिला आरक्षण एवं विकलांग आरक्षण के तहत् किन–किन वर्ग के कितने पद भरे जावें।	1. प्रत्येक श्रेणी मे महिलाओं का 30% आरक्षण रखा जावें। 2. विकलांग (निःशक्तजन) के लिये 6% आरक्षण होगा, जिसमे 2% दृष्टि वाधित, 2% श्रवणवाधित तथा 2% अन्य श्रेणी के लिए होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(रूही खान)
उपायुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद

पृ. क्र./5297/एनआरईजीएस–म.प्र./एनआर–2/ न्या.प्रक/10 भोपाल दिनांक 22/5/10

प्रतिलिपिः–

1. संभाग आयुक्त, संभाग .... (समस्त), की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला .... (समस्त)की ओर सूचनार्थ।

उपायुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद

Letter